<u>उपायुक्त का न्यायालय, कोडरमा</u>

संदेहात्मक जमाबन्दी अभिलेख संख्या–17 / 2013–14

राज्य बनाम रामवृक्ष रजवार।

<u>आदेश</u>

अपर समाहर्त्ता, कोडरमा के पत्रांक–1425 / रा0 दिनांक 22 / 08 / 2016 से संदेहात्मक जमाबन्दी अभिलेख संख्या–17 / 2013–14 राज्य बनाम रामवृक्ष रजवार पिता–विदेशी रजवार, साकिन–कौवावर, अंचल–कोडरमा, अग्रतर कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, कोडरमा, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा, अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा एवं अपर समाहर्त्ता, कोडरमा द्वारा आदेश फलक की पृ0सं0–13 पर अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन अंकित किया गया है।

अभिलेख में पृष्ठाकित अंचल अधिकारी, कोडरमा के प्रतिवेदन के अनुसार मौजा–कौवावर, थाना नं0–236, खाता संख्या–92, प्लॉट नं0–642, रकवा–0.54 एकड़ भूमि की जमाबन्दी हल्का कार्यालय में उपलब्ध पंजी II के पृष्ट संख्या 114/1 पर रामवृक्ष रजवार पिता–विदेशी रजवार के नाम से बन्दोबस्ती वाद संख्या 02 / 1971–72 के अनुसार दर्ज है। रैयती मान्यताकरण अभिलेख संख्या 17 / 2013–14 के आदेश फलक के पार पृष्ट संख्या 11 पर भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, कोडरमा के द्वारा उल्लेखित किया गया है कि, "प्रश्नगत भूमि के बन्दोबस्ती की पुष्टि कार्यालय में उपलब्ध पंजी से नहीं होती है। इस संबंध में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, हजारीबाग के पत्रांक 586 / रा0 दिनांक 13–5–2015 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त रैयत का नाम एवं वाद संख्या कार्यालय में उपलब्ध बंदोबस्त पंजी में अंकित नहीं है। जमाबंदी धारक द्वारा जमाबंदी कायम होने का कोई पर्याप्त साक्ष्य सुनवाई के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया।

अंचल अधिकारी, कोडरमा, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा, अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा एवं अपर समाहर्त्ता, कोडरमा द्वारा बन्दोबस्ती पंजी में रैयत का नाम एवं वाद संख्या अंकित नहीं होने के कारण बन्दोबस्ती को संदेहास्पद पाते हुए राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–2074 / रा0 दिनांक 13.05.2016 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम–1950 की धारा–4h के तहत कार्रवाई हेतु उक्त जमाबन्दी रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

अपर समाहर्त्ता, कोडरमा से अभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त दिनांक 30–8–2016 को विपक्षी को नोटिस निर्गत कर अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित जवाब में कहा गया है कि उक्त भूमि 1971–72 ई0 में बिहार सरकार द्वारा विपक्षी रामवृक्ष रजवार व उनके भाई रामकिशुन रजवार के नाम से बन्दोबस्त की गई है जिसका पर्चा भी रामवृक्ष रजवार व उनके भाई के नाम से निर्गत किया गया जो पंजी II में अंकित किया गया तत्पश्चात् विपक्षी के नाम से मालगुजारी रसीद काटा गया एवं भूमि को जोत–आवाद कर वर्षो से शांतिपूर्वक दखलकार चले आ रहे है।

सरकारी अधिवक्ता, कोडरमा द्वारा अंचल अधिकारी, कोडरमा के प्रतिवेदन के आलोक में उक्त जमाबन्दी को संदेहास्पद पाते हुए राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–2074 / 13.5.16 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम–1950 की धारा–4h के तहत कार्रवाई हेतु उक्त जमाबन्दी रद्द करने की कार्रवाई को सरकार के हित में न्यायोचित बतलाया गया।

अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से उक्त बन्दोबस्ती संदेहास्पद प्रतीत होती है। अतः अंचल अधिकारी, कोडरमा, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा, अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा एवं अपर समाहर्त्ता, कोडरमा की अनुशंसा और सरकारी अधिवक्ता, कोडरमा के विधिक मंतव्य के आलोक में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–2074 / रा0 दिनांक 13.05.2016 के प्रावधानानुसार मौजा–कौवावर, थाना नं0–236, खाता संख्या–92, प्लॉट नं0–642, रकवा–0.54 एकड़ पर रामवृक्ष रजवार पिता–विदेशी रजवार, के नाम से कायम जमाबन्दी, Schedule-1 की जमाबन्दी धारा 4(h) of Bihar Land Reform Act 1950 के अन्तर्गत रद्द की जाती है।

आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख आयुक्त उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग को आदेश की सम्पुष्टि हेतु भेंजे।

Details of Land:- मौजा–कौवावर, थाना नं0–236, खाता संख्या–92, प्लॉट नं0–642, रकवा–0.54 एकड।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त, कोडरमा। 30/9

उपायुक्त 30/9
कोडरमा।